प्रेस–विज्ञप्ति

30.06.2017

दिनांक 30 जून, 2017 को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन (के.आई.टी.बी.ए.) एवं कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी (के.सी.ए.एस.) के संयुक्त तत्वाधान में जी.एस.टी. पर सत्र का आयोजन किया गया।

गोष्ठी में उपस्थत सदस्यों का स्वागत के.आई.टी.बी.ए. एवं के.सी.ए.एस. के अध्यक्ष श्री अतुल मेहरोत्रा एवं श्री नवल कपूर ने असंयुक्त रूप से किया तथा कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के महामंत्री श्री रियाज उद्दीन जुनेदी ने सी.ए. सोसाइटी के विशाल खन्ना से संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन किया।

गोष्टी के प्रथम सत्र में सी.ए. राजीव् मेहरोत्रा ने बताया कि विभाग का दखल कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जिक्र करते हए बताया कि जांच / छापा की कार्यवाही के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति का कोइ साक्ष्य कर दाता को यहाँ से प्राप्त होता है तो उसका इस्तेमाल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है इसी क्रम में दुसरे वक्ता श्री संतोष गुप्ता, अधिवक्ता ने बताया कि जिलाधिकारी सर्किल रेट स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन की राशि का कानून अब रियल स्टेट के कारोबारियों पर भी लागू है। बिक्री के समय भुगतान भी अकाउंट पेयी चेक से ही स्वीकार किया जाएगा। मात्र 20,000/- (रुपया बीस हजार) नकद धनराशी स्वीकार की जा सकती है। 50,00,000 /- (रुपया पचास लाख) से अधिक की धनराशि अचल संपत्ति के विक्रेता को भुगतान करने पर 1 प्रतिशत की दर से कटोती करनी होगी।

गोष्ठी के द्वितीय सत्र में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री पदम् कुमार जैन ने सहयोगी संस्थानों के.आई.टी.बी.ए. एवं के.सी.ए.एस. का जी.एस.टी. पर आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया तथा सभी प्रतिभागियों एवं मीडिया कर्मियों का स्वागत किया एवं कहा कि जी.एस.टी. से हमारे देश को भविष्य में लाभ मिलेगा एवं ग्रोथ-रेट बढ़ेगा।

सत्र के वक्ता सी.ए. धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने वस्तु एवं सेवा कर पर आयोजित सत्र में इनपुट टैक्स क्रेडिट के विषय में बताया कि अभी तक की कर प्रणाली में निर्माता को एवं व्यापारी को सभी अप्रत्यक्ष करों का लाभ नहीं मिल सकता था। जिसके कारण वस्तुएं बाजार में महंगी कीमतों पर उपलब्ध होती थी। इस नई व्यवस्था में चूँकि इसमें व्यापारी को जो टैक्स उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में चुकाया है, उसका पूरा लाभ व्यापारी को माल बेचते समय मिलेगा, जिसका प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ता को ही मिलेगा। यह अप्रत्यक्ष कर लगने के बाद वस्तुओ की कीमत कम हो जायेगी। जिसके कारण उपभोक्ता ही लाभान्वित होंगे। सी.जी.एस.टी. का एस.जी.एस.टी. का समायोजन नहीं किया जा सकेगा। आई.जी.एस.टी. से क्रमशः आई.ई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. से समायोजन किया जा सकेगा।

सत्र के दूसरे वक्ता सी.ए. हिमांशु सिंह ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले सभी व्यापारी सेवा प्रदाता एवं उत्पादक क्रमशः वैट सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पादक शुल्क विभागों में पहले से ही पंजीकृत है, पुराने नियमों के हिसाब से जो टैक्स क्रेडिट खाता बहियों एवं विवरणी में उपलब्ध है, उसको आगे वस्तु एवं सेवा कर में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वास्तु एवं सेवा कर को सफलतापूर्वक पूरे देश में लागू करने के लिए परिवर्तन काल प्रावधानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्रेडिट को लेने के लिए व्यापारियों को 30 जून के राहतों की सूची निर्धारित प्रारुप में वास्तु एवं सेवाकर के पोर्टल पर 90 दिन के अन्दर दाखिल करनी होगी।

नई व्यवस्था में, चूँकि इसमें व्यापारी को जो टैक्स उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में चुकाया है, उसका पूरा लाभ व्यापारी को माल बेचते समय मिलेगा, जिसका कि प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ता को ही मिलेगा यह अप्रत्यक्ष कर लगने के बाद वस्तुओं की कीमत कम हो जायेगी जिसके कारण उपभोक्ता ही लाभान्वित होंगे।
सी.जी.एस.टी. का एस.जी.एस.टी. से समायोजन नहीं किया जा सकेगा। आई.जी.एस.टी. का समायोजन क्रमशः आई.जी.एस.टी. , सी.जी.एस.टी., तथा एस.जी.एस.टी. से समायोजन किया जा सकेगा। श्री सिंह ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पादक शुल्क विभागों से पहले से ही पंजीकृत है, पुराने नियमों के हिसाब से जो टैक्स क्रेडिट जो खाता बही एवं विवरणी उपलब्ध है उसको आगे वस्तु एवं सेवाकर में समायोजित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वस्तु एवं सेवाकर को सफलतापूर्वक पूरे देश में लागू करने के लिए परिवर्तन काल प्रावधानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्रेडिट को लेने के लिए व्यापारियों को 30 जून के रहते की सूची निर्धारित प्रारूप में वास्तु एवं सेवाकर के पोर्टल पर 90 दिन के अन्दर दाखिल करनी होगी।

सत्र में उपस्थित गणमान्य : श्री सुनील त्रिवेदी, श्री मुकुल टंडन, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव - एम.सी.यू.पी., श्री गोविन्द कृष्णा, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, के.आई.टी.बी.ए. एवं के.सी.ए.एस. के सदस्यगण तथा कर विशेषज्ञ उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश